मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र. 9188 / 22 / वि–12 / ग्रासप्रा / प्रशा. / 5–213 / 2018 भोपाल, दिनांक 02 / 05 / 2018

:: वित्तीय सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति ::
––0––

प्राधिकरण के मुख्यालय कार्यालय में वित्तीय सलाहकार के रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति की जानी है जिसके लिये नीचे दर्शाये अनुसार योग्यता एवं अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र.	पद नाम	पद संख्या	योग्यता	आयु (01.05.2018 की स्थिति में)
1	वित्तीय सलाहकार	**1** (सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर)	**अर्हतायें :–** a. महालेखाकार कार्यालय अथवा वित्त एवं लेखा सेवा के सेवा निवृत्त वरिष्ठ लेखा * परीक्षा अधिकारी / लेखाधिकारी अथवा उच्च पद से सेवानिवृत्त अधिकारी। b. राज्य शासन के कार्य विभाग के प्रमुख अभियंता / मुख्य अभियंता कार्यालय में लेखाधिकारी अथवा उच्च पद पर कम से कम 2 वर्ष कार्य का अनुभव हो। c. निविदा प्रपत्र तैयार करने, अनुबंधों की समीक्षा, निर्माण विभाग नियमावली, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लेखा संहिता (CPWA Code), वित्त संहिता आदि का ज्ञान हो। हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान।	अधिकतम 63 वर्ष

2. संविदा पर उपरोक्त पद हेतु एक वर्ष की समयावधि के लिए नियुक्ति की जावेगी।
3. आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल के नाम पर पूरी जानकारी एवं प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति सहित, **दिनांक 25 / 05 / 2018** को कार्यालयीन समय तक पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. प्राधिकरण को कोई भी / सभी आवेदनो को अमान्य करने का अधिकार होगा।

चयन की शर्ते :–

1. प्राप्त आवेदनों में, योग्य अभ्यर्थियों को, निर्धारित प्रक्रियानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर उनके मूल विभाग से सेवाकाल के अंतिम पांच वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम तीन वर्षो में क एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में घ न हो, के अनुरूप होना चाहिये एवं ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कोई भी विभागीय जांच / लोकायुक्त / आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो / विजिलेंस इन्क्वायरी के प्रकरण लंबित न होने पर पदस्थापना हेतु पात्र माना जायेगा।

F:\ROHIT\Co-ordination Data\Vacancy\16. FA\Letter, Full Note and Short Note.docx

2. उपरोक्त चयन प्रक्रिया के अनुसार चयनित वित्तीय सलाहकार को संविदा आधार पर एक वर्ष के लिये सक्षम अधिकारी अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जाकर नियुक्ति दी जा सकेगी। नियुक्ति पूर्व अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त किये गये अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। इसके पश्चात आवश्यकता होने पर प्रतिवर्ष कार्य की समीक्षा उपरांत संविद अधिकारी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष एक–एक वर्ष की सेवा वृद्धि निर्धारित प्रकिया अनुसार सक्षम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।

3. **संविदा की शर्ते :–**

3.1 सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा पर पदस्थ किये जाने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मासिक वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि संविदा पारिश्रमिक के रूप में प्रतिमाह देय होगी। जिन विभागों/निगमों/मंडलों आदि में म.प्र. शासन के नियमों के अनुरूप पेंशन का प्रावधान नहीं है, वहां अंतिम मासिक वेतन की 50 प्रतिशत राशि को पेंशन राशि माना जाकर देय पारिश्रमिक की गणना की जावेगी। (उक्त गणना सेवा–निवृत्ति के समय जारी अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र के आधार पर की जावेगी। अर्थात् सेवा–निवृत्ति के पश्चात् आगामी माहों में भूत–लक्ष्यीय प्रभाव से डी.ए. के प्रावधान लागू नहीं होंगे।)

3.2 संविद अधिकारी को प्रतिवर्ष निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगी –

i. आकस्मिक अवकाश – 13 दिवस
ii. एच्छिक अवकाश – 03 दिवस
iii. चिकित्सा अवकाश – 15 दिवस

3.3 यात्रा भत्ते की पात्रता म.प्र. शासन के द्वारा जारी अद्यतन परिपत्र एवं संबंधित श्रेणी का निर्धारण सेवा–निवृत्ति के समय लागू ग्रेड–पे के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आर्थिक सुविधा की पात्रता नहीं होगी।

3.4 संविदा पर नियुक्त संविद अधिकारियों को आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किया जा सकेगा।

3.5 संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज् में एक माह का पारिश्रमिक देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

3.6 संविदा कर्मी पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे। वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्य करते हुये यदि उनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत कार्य करने की सूचना प्राप्त होती है तो उन्हें सम्यक जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा तत्काल सेवा से पृथक किया जावेगा। प्राधिकरण को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के आचरण/कार्य से वित्तीय हानि होने की स्थिति में वसूली भू. राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी तथा आवश्यकता होने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकेगा।

4. साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी। वित्तीय सलाहकार के पद हेतु साक्षात्कार दिनांक 13/06/2018 को लिया जायेगा एवं तिथि में परिवर्तन होने की स्थिति में सूचना वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी।

5. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है एवं साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जावे अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

6. अर्हताएं एवं आयु सीमा तथा अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षो की गणना दिनांक 01/05/2018 से की जावेगी।

7. आवेदन जमा करने की **अन्तिम तिथि 25/05/2018** कार्यालयीन समय तक है। सभी आवेदन कार्यालय **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल, म.प्र.** को प्रेषित किये जावेंगे। योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर दर्शित की जावेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी विभागीय बेवसाईट mprrda.com/default.html पर उपलब्ध है। भर्ती से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में दूरभाष क्र. 0755–2573389 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकेगी।

(उमाकांत पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक(प्रशासन)
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

F:\ROHIT\Co-ordination Data\Vacancy\16. FA\Letter, Full Note and Short Note.docx